नागरिक सेवा प्रदाता सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर

की आदर्श उपविधियां

नागरिक सेवा प्रदाता सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर

उपविधि क्रमांक 1 :– नाम, पंजीकृत पता एवं कार्यक्षेत्र

1.1 इस संस्था का नाम – नागरिक सेवा प्रदाता सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर म.प्र.) रहेगा।

1.2 इस संस्था का पंजीकृत पता – C/o श्री किशोर मण्डलोई , 206, आई.डी.ए.बिल्डिंग स्कीम नं. 97/4, बुद्ध नगर के पास, पोस्ट राजेन्द्र नगर इन्दौर जिला इन्दौर पिन कोड नं. 452012 मध्यप्रदेश होगा।

1.3 इस संस्था का कार्यक्षेत्र – इन्दौर नगर निगम क्षेत्र तक सीमित रहेगा।

नोट :– पंजीकृत पते में कोई भी परिवर्तन की सूचना 30 दिन में उप पंजीयक सहकारी समितियां इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। पते में परिवर्तन उपनियमों के संशोधन द्वारा किया जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक 2 :– परिभाषाऐं

इन उपविधियों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

1. "संस्था" से तात्पर्य उपविधि क्रमांक 1 में वर्णित संस्था से है ।
2. "संचालक मण्डल" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत गठित संचालक मण्डल से है, चाहे वह संचालक मण्डल, प्रबंधकारिणी समिति या किसी भी नाम से जाना जाता हो ।
3. "पंजीयक" से तात्पर्य धारा–3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश के पंजीयक से है अथवा उस अधिकारी से है जिसे संस्था के संबंध में पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।
4. "अधिनियम" से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 से है।
5. "नियम" से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 से है।
6. "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य" वह होगा, जो शासन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बने नियमों में की गई व्याख्या के अन्तर्गत आता हो।
7. "सहकारी वर्ष" से तात्पर्य प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।
8. "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।
9. "उपविधियों" से तात्पर्य अधिनियमों के अन्तर्गत इस संस्था की पंजीकृत अथवा पंजीकृत मान्य की हुई उपविधि से है तथा जो तत्समय प्रवृत्त हो और उनके अन्तर्गत उपविधियों का पंजीकृत संशोधन आता हो।
10. "लाभांश" से तात्पर्य किसी सदस्य को उसके द्वारा धारित अंशों के मूल्य के अनुपात में संस्था के लाभ में से चुकाई गई रकम से है ।
11. "सदस्य" से तात्पर्य इस संस्था की रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में संयोजित होने वाला कोई व्यक्ति/महिला या कोई ऐसा व्यक्ति/महिला जिसे रजिस्ट्रेशन के बाद उपविधियों के अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गई हो।
12. "अध्यक्ष" से तात्पर्य सहकारी अधिनियम/नियम तथा संस्था की उपविधियों के अनुसार नामांकित/निर्वाचित अध्यक्ष/सभापति या चेयरमेन से है ।

13. "कार्यक्षेत्र" से तात्पर्य वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जा सकती है ।

14. "प्रबंधक/कर्मचारी" से तात्पर्य संस्था के कार्य संचालन के लिये प्रबंध समिति/संचालक मण्डल द्वारा नियुक्त सेवारत अधिकारी/ कर्मचारी से है ।

15. "राज्य शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेष शासन से है ।

16. "सेवा नियम" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत पंजीयक द्वारा प्रसारित सेवा नियमों से है ।

17. "विनिर्दिष्ट पद" से अभिप्रेत है संस्था के अध्यक्ष या सभापति और उपाध्यक्ष या उप सभापति का पद।

18. "वित्तदायी बैंक" से अभिप्रेत है कोई ऐसी बैंक जिसका उद्देष्य अन्य सोसायटीज का या उसके व्यक्तिक सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों को सृजित करना है और उसके अन्तर्गत आते हैं म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जो संस्था को उसके व्यवहार हेतु ऋणों की आपूर्ति करते हैं ।

19. ''प्राधिकारी'' से तात्पर्य है धारा 57–ग की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी।

20. "निर्वाचन अधिकारी" या "रिटर्निंग अधिकारी" से तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति जिसे निर्वाचन प्राधिकारी ने साधारण या विषेष आदेष द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियुक्त किया हो कि वह इस संस्था के निर्वाचन हेतु अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करें ।

21. ''समन्वयक'' से तात्पर्य है सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन संचालित कराने के लिये प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जो जिला स्तर पर उप/सहायक रजिस्ट्रार ।

22. ''मतदान अधिकारी'' से तात्पर्य है मतदान केन्द्रों पर मतदान संचालित कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी ।

23. ''पीठासीन अधिकारी'' से तात्पर्य है मतदान केन्द्रों पर मतदान कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी ।

24. ''रजिस्ट्रीकरण अधिकारी'' से तात्पर्य है संस्था के निर्वाचन संचालित कराने हेतु निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी, इसमे सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी सम्मिलित होगा ।

25. ''मतगणक'' से तात्पर्य है मतों की गणना करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ।

26. "मुख्य कार्यपालन अधिकारी" से तात्पर्य संस्था के प्रबंध हेतु नियुक्त संस्था प्रबंधक है, जो संचालक मण्डल के अधीक्षण नियंत्रण और निर्देषन के अध्याधीन कार्य करेगा ।

27. "संघ" से तात्पर्य जिला सहकारी संघ मर्यादित होगा। जिससे संस्था संबंद्ध होगी ।

28. ''संपरीक्षक'' से तात्पर्य है सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण/संपरीक्षा के लिये नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति।

29. ''संपरीक्षक फर्म'' से तात्पर्य है सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण/संपरीक्षा के लिये प्राधिकृत कोई चार्टेड अकाउन्टेन्ट/सनदी लेखापाल फर्म ।

30. प्रशासक से अभिप्रेत है जिसे अधिनियम के उपबधो के अधीन संस्था के संचालन के लिये रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासक के रुप में नियुक्त किया गया हो ।

ऐसी परिभाषाए जो इन उपविधियों में वर्णित नहीं हैं, उनकी व्याख्या अधिनियम एवं नियमों मे दी गयी परिभाषाओं से की जावेगी ।

उपविधि क्रमांक 3 :– उद्देश्य

संस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

1. किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों/बैंकों अथवा व्यक्ति के कम्प्यूटर जॉबवर्क से संबंधित समस्त कार्य करना।
2. किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों/बैंकों अथवा व्यक्ति के लेखा (अकाउंट) से संबंधित समस्त कार्य करना।
3. किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था अथवा व्यक्ति के टी.डी.एस./वैट/पैन कार्ड/डिजीटल साईन तैयार करने संबंधी कार्य करने में सहायता करना।
4. किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों/व्यापारिक संस्थानों का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन कराने तथा रिटर्न फाईल करने हेतु सहायता करना।
5. किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों/बैंकों के कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को निर्धारित शुल्क लेकर कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर प्रशिक्षण प्रदान करना।
6. सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों/बैंकों अथवा व्यक्ति हेतु फोटोकापी/स्केनिंग/पासपोर्ट फोटो आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
7. किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों/बैंकों अथवा व्यक्ति के कम्प्यूटर/प्रिंटर एवं अन्य कम्प्यूटर उपकरणों के रखरखाव हेतु अनुबंध करना तथा उक्त के पार्टस् उपलब्ध कराना तथा नए उपकरणों/सॉफ्टवेयर का क्रय/विक्रय करना।
8. बिजली/नल/टेलिफोन/मोबाईल आदि के बिलों का भुगतान निर्धारित शुल्क प्राप्त कर करना।
9. कम्प्यूटर से संबंधित कार्यों के संपादन हेतु इच्छुक संस्थानों को प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराना।
10. सदस्यों एवं उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता एजेन्सी की सेवाऐं प्रदाय करना यथा एम.पी.ऑनलाईन, रेल्वे रिजर्वेशन (आई.आर.सी.टी.सी.) आदि की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर तदानुसार कार्य करना।
11. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निधियॉ एकत्रित करना तथा सामान्यतः ऐसे समस्त कार्य करना , जिनसे सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति हो व जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति मे आवश्यक हों ।
12. अपने सदस्यों के हितों को प्रभावित करने वाली समस्त समस्याओं को सहकारी नीति के द्वारा निपटाना तथा लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये प्रयत्न करना ।

उपविधि क्रमांक 4 (अ) :– सुविधायें जो सदस्यों को प्रदान की जावेगी

1. संस्था द्वारा संपादित कम्प्यूटर के समस्त कार्य सदस्यों हेतु रियायती दरों पर संपादित किए जावेंगे।
2. संस्था द्वारा विक्रय किए जाने वाले स्कंध (सदस्यों के उपयोग अनुसार) को सदस्यों हेतु रियायती दर पर बेचा जावेगा।
3. सदस्यों को लेखा एवं कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।
4. सदस्यों द्वारा चाहे जाने पर उन्हे समय–समय पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवीन तकनीकों से अवगत कराया जावेगा।

5. सदस्यों को उनके बिजली/नल/टेलीफोन/मोबाईल बिलों के भुगतान की सुविधा शुल्क में रियायत प्रदान की जावेगी।
6. सदस्यों हेतु जनरल इंश्योरंस के कार्य रियायती दर पर किए जावेंगे।

<u>उपविधि क्रमांक (5) सदस्यता :–</u> "संस्था" का सदस्य बनने हेतु निम्न अर्हतायें होनी चाहिये

1. वह संस्था के कार्यक्षेत्र का निवासी हो और संस्था की उपविधि को पढ़कर मान्य कर लिया हो। सदस्य होने के उपरांत यदि वह संस्था के कार्यक्षेत्र से बाहर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वह संस्था का सदस्य नहीं होगा।
2. सदस्यता ग्रहण करने हेतु शैक्षणिक योग्यता कम से कम दसवीं पास हो, एवं कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण/उपाधि धारक हो।
3. उसका आचरण अच्छा हो।
4. उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो भारतीय विधान के अन्तर्गत अनुबंध करने में सक्षम हो, परन्तु आवश्यक क्लेम न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के माध्यम से सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जावेगा ऐसे सदस्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने संरक्षक के माध्यम से अधिकार उपयोग उन दायित्वों के अधीन रहते हुए करेंगे जो इन उपविधियों के अधिकार हैं।
5. उसने न्यूनतम 1 अंश क्रय हेतु राषि एवं प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। सदस्य (नाम मात्र) प्रवेश शुल्क 100/– (जो वापसी योग्य नही होगा) एवं सदस्यता हेतु अंश शुल्क 500/– (जो वापसी योग्य होगा) और न्यूनतम 1 अंश क्रय किया हो ।
6. उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो।
7. उसे राजनैतिक ढंग की सजा को छोड़कर किसी नैतिकता संबंधी अपराध में दण्डित न किया गया हो, परन्तु यदि दण्ड की अवधि से 5 वर्ष व्यतीत हो गये हों तो यह अयोग्यता लागू नहीं होगी।
8. उसे किसी सरकारी सेवा/सहकारी संस्था से निष्कासित न किया गया हो। वह अधिनियम की धारा 20 के अधीन निरर्हित न हो।
9. यदि उनका बालिग पुत्र/अविवाहित बालिग पुत्री अन्य समान उद्देश्य की प्रस्तावित "संस्था" में सदस्य हैं तो वह शपथ पत्र में घोषित करेगा कि पुत्र/पुत्री पिता से अलग रहते हैं।

<u>उपविधि क्रमांक 6 :– सदस्यता अभिप्राप्त करने हेतु प्रक्रिया</u>

आरंभ के सदस्य वे होगें जिन्होने "संस्था" के पंजीयन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हो उसके बाद नये सदस्य प्रबंध समिति की स्वीकृति से सम्मिलित किये जावेगें।

6.1 "संस्था" की सदस्यता हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक आवेदन को अध्यक्ष एवं उसकी अनुपस्थिति में प्रबंधक द्वारा प्राप्त किया जावेगा। उक्त पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि प्रबंध समिति की प्रत्येक बैठक में उस बैठक तक प्राप्त हुये सभी सदस्यता आवेदन पत्रों को प्रबंध समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत करें। जिन पर प्रबंध समिति अधिनियमों नियमों एवं उपविधियों के अधीन स्वीकृत/अस्वीकृत करने संबंधी निर्णय लेगी।

"संस्था" की सदस्यता प्राप्त करने के लिये निर्धारित योग्यता रखने वाला व्यक्ति अंशपूंजी जमा करने की दिनांक से ही "संस्था" का सदस्य माना जावेगा। सदस्यता प्रदान करने में विवाद की स्थिति निर्मित होने पर म.प्र. सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उसका निराकरण किया जावेगा।

6.2 प्रबंध समिति को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्तानुसार पूर्ण आवेदन को स्वीकृत करें या उपविधियों /नियमों के अनुसार अस्वीकृत करे। किंतु यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो प्रबंध समिति के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह आवेदन पत्र की अस्वीकृति के 15 दिवसों के अंदर आवेदक को रजिस्टर्ड डाक से या व्यक्तिगत तामिली द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत होने के कारणों की लिखित जानकारी जिस पर "संस्था" के अध्यक्ष या प्रबंधक हस्ताक्षर होंगे, संसूचित करें, निर्णय की सूचना प्रबंधक द्वारा भेजी जावेगी। आवेदन पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर आवेदक प्रबंध समिति के निर्णय के विरूद्ध पंजीयक को अपील कर सकेगा।

6.3 "संस्था" द्वारा सदस्यता आवेदन पंजी तथा सदस्यता पंजी के रूप में दो पृथक पृथक पंजीयां रखी जावेगी प्रथम पंजी में नवीन सदस्यता हेतु एवं सदस्यता समाप्ति हेतु प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टि की जावेगी तथा दूसरी पंजी (सदस्यता पंजी) में सदस्यता प्रदान करते ही सदस्य के संबंध में प्रविष्टियां अंकित की जावेगी। इन दोनो पंजीयों में प्रविष्टियां क्रमानुसार ही की जावेंगी और किसी भी स्थिति में इनका कोई अपवाद नही होगा।सदस्य बनाये जाने के प्रार्थना पत्र के साथ प्रत्येक व्यक्ति को सौ रूपये प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। यदि प्रार्थना पत्र स्वीकृत न हुआ तो प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जावेगा।

6.4 नामांकन – प्रत्येक सदस्यों को रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होंगे और उसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार होगा जिसको, सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी यदि कोई रकम "संस्था" में जमा हो तो वह वापस दी जा सके अथवा उसके नाम परिवर्तन की जा सके। उत्तराधिकारी का मनोनयन और बाद में उसमें परिवर्तन दो साक्षियों के समक्ष लिखे जावेंगे।

6.5 उसको यह भी लिख कर देना होगा कि वह "संस्था" की उपविधियो के अंतर्गत बनाई हुई विधियों का एवं इन दोनों में जो संशोधन उसकी सदस्यता की अवधि में हो उनका पूर्ण रूप से पालन करेगा।

<u>उपविधि क्रमांक 7 :– सदस्य बने रहने के लिये निर्बन्ध एवं शर्ते</u>

7.1 कोई भी व्यक्ति "संस्था" का सदस्य तब तक बना रह सकेगा जब तक कि –

अ) उसे उपविधि /नियमों /अधिनियमों अनुसार निष्कासित न कर दिया गया हो

ब) उसके "संस्था" से त्याग पत्र को प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत न कर लिया गया हो

स) उसकी मृत्यु न हो गई हो

7.2 सदस्यता जारी रखने के लिये अन्य मुख्य शर्ते निम्नानुसार है :–

अ) "संस्था" की प्रबंध समिति अथवा पंजीयक द्वारा विधि अनुसार दिये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना आवश्यक है।

ब) "संस्था" के गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना

स) "संस्था" को अपनी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता प्रदान करना

द) "संस्था" से प्राप्त लोन/अमानतों की राशियां समय पर लौटाता रहे।

<u>उपविधि क्रमांक 8 :– संभावित सदस्यों के लिये समय सीमा</u>

ऐसे संभावित सदस्य जिनका सदस्यता आवेदन पत्र प्रबंध समिति द्वारा अस्वीकृत किये जाने से सदस्यता हेतु अधिकतम एक माह में अपील पंजीयक के पास कर सकेगा। निर्णय संभावित सदस्य के पक्ष में होने के

दिनांक से एक माह के भीतर सदस्यता हेतु आवष्यक प्रवेश शुल्क अंश राशि एवं आवेदन पत्र "संस्था" में जमा करायेगा तभी वह सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओ एवं अधिकारो का पात्र होगा।

उपविधि क्रमांक 9 :– सदस्यता वापस लेने/अंतरण के लिये प्रक्रिया

9.1 "संस्था" का कोई भी सदस्य लिखित में आवेदन देकर उसकी सदस्यता वापसी हेतु निवेदन कर सकेगा। किंतु ऐसे त्याग पत्र के साथ सदस्य का शपथ पत्र जिसमें उसके द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारणों का उल्लेख होगा, संलग्न करना आवश्यक होगा। त्याग पत्र बाबत आवेदन "संस्था" के अध्यक्ष को संबोधित होगा और अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में प्रबंधक को सौंपा जा सकेगा। "संस्था" की प्रबंध समिति ऐसे सभी आवेदनों पर विचार कर अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा त्याग पत्र स्वीकार/अस्वीकार कर सकेगी। यदि त्याग पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो उसके कारण अभिलिखित करना अनिवार्य होंगे।

9.2 किसी भी सदस्य को अपने सदस्यता अंश राशि या हित किसी अन्य को हस्तांतरित करने का अधिकार नही होगा जब तक उसके द्वारा ऐसा अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारण न कर चुका हो तथा ऐसी अंतरण उस "संस्था" को या उसके किसी सदस्य को न किया जाये एवं वह अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये हस्तांतरण हेतु आवेदन के साथ राशि 100.00 का हस्तांतरण शुल्क जमा करते हुये अध्यक्ष को संबोधित करते हुये आवेदक अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में प्रबंधक को प्रदान किया जा सकता है। जो ऐसे सभी आवेदनो को प्रबंधक समिति के निर्णय हेतु उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत करेगा। जब तक सदस्यता अंश का हस्तांतरण संस्था के रजिस्टरों में नही लिखा जाता उस समय तक जिसके नाम से हस्तांतरण होगा, उसका कोई अधिकार समिति के विरूद्ध नही होगा न ही उसका परिणाम उस विवाद पर होगा, जो संस्था ने अंश हस्तांतरण करने वाले सदस्य पर किया हो। प्रबंध समिति द्वारा हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करने के अधिकतम 15 दिवस में हस्तांतरण संबंधी आवश्यक कार्यवाही समिति द्वारा की जावेगी।

उपविधि क्रमांक 10(अ) :– सदस्यता से हटाने की प्रक्रिया

कोई सदस्य तदाशय हेतु आमंत्रित प्रबंध समिति की बैठक में उपस्थिति एवं मतदान की पात्रता रखने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित कारणों में से किन्ही कारणों से सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा –

1. कोई ऐसा कार्य जिससे कि "संस्था" की साख को क्षति पहुचाने की संभावना हो या जिससे उनकी कुख्याति होने की संभावना हो कारित करता है या मिथ्या कथन द्वारा संस्था को जानबूझकर धोखा देता है।
2. कोई ऐसा कारोबार करता है जिससे यह संभावना हो कि वह सोसायटी द्वारा किये जाने वाले कारोबार की प्रतिद्वंदिता में आता हो या
3. अपने द्वारा देय धन का भुगतान करने में बार–बार व्यतिक्रम करता है या उपविधियों के किन्ही भी उपबंधो का अनुपालन करने में चूक करता है।
4. यदि कोई "संस्था" के गठन के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करता हो या समिति को अपनी सेवाएँ चाहे जाने पर उपलब्ध नही कराता है या
5. यदि उसने सदस्य बनने के बाद सदस्यों हेतु आवश्यक अर्हताओं में से किसी एक को भी खो दिया हो, परंतु कोई भी ऐसा संकल्प तब तक विधि मान्य नही होगा जब तक की संबंधित सदस्य को उसे निष्कासित

करने संबंधी प्रस्थापना की सूचना, सात दिन पूर्व, उसे व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक से न दे दी गई हो और जब तक कि उसे अपने मामले के संबंध में समिति के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।

6. कोई भी व्यक्ति जिसे संस्था की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है ऐसे निष्कासन की तारीख से छह वर्ष की कालावधि तक पुनः प्रवेश प्राप्त करने के लिये पात्र नही होगा।

उपविधि क्रमांक – 10(ब) सदस्यता की समाप्ति की प्रक्रिया –

निम्नलिखित मे से किसी एक भी कारण से किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जावेगी–

1. मृत्यु हो जाने पर
2. स्थाई रूप से विक्षिप्त हो जाने पर
3. उपविधि क्रमांक 09 के अनुसार त्याग पत्र स्वीकृत होने पर
4. उसके द्वारा धारित अंश किसी और को स्थानांतरित हो जाने पर।
5. उपविधि क्रमांक 10 (अ) के अनुसार निष्कासित किये जाने पर।
6. किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर संस्था देय राशि का भुगतान सदस्य पर बकाया के समायोजन के बाद एक वर्ष की अवधि में कर देगी।
7. सदस्य की मृत्यु की द**शा** में संस्था में उसके अं**शो** या जमा रा**शि** में उससे वसूली योग्य राशि कम करके शेष राशि उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति या नामांकन के अभाव में प्रबंध समिति के निर्णय के अनुसार ऐसे व्यक्ति को जो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के रूप में उक्त रा**शि** प्राप्त करने का अधिकारी हो को इण्डेमिनिटी बांड भरने पर भुगतान की जावेगी।

उपविधि क्रमांक – (11) सदस्यों के अधिकार –

"संस्था" के प्रत्येक सदस्य को निम्न अधिकार रहेंगे –

11.1 संस्था द्वारा सदस्यों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार

11.2 सदस्यता से निष्कासन की स्थिति में पंजीयक को अधिनियमो नियमों द्वारा निर्धारित समयावधि अन्यथा 10 दिवसो में अपील का अधिकार।

11.3 अपने मे से "संस्था" की प्रबंध समिति के सदस्य को मत देकर चुनने का अधिकार।

11.4 उपविधियों /नियमों /अधिनियम अनुसार संस्था की आमसभा में भाग लेकर मतदान का अधिकार।

11.5 "संस्था" की गतिविधियों को एवं उसकी प्रगति के बारे में जानकारी अध्यक्ष अथवा प्रबंधक को लिखित आवेदन देकर प्राप्त करने का अधिकार।

11.6 "संस्था" के किसी भी कर्मचारी द्वारा अनियमितताएं की जा रही है स्पष्ट रूप से पाये जाने या सिद्ध होने पर उसकी सूचना अध्यक्ष या प्रबंधक को देने का अधिकार।

11.7 "संस्था" के किसी सदस्य द्वारा "संस्था" के गठन के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर उसकी सूचना "संस्था" के अध्यक्ष को देने का अधिकार।

11.8 सदस्यता से त्यागपत्र देकर अपनी अंश राशि वापस प्राप्त करने का अधिकार सदस्यों को होगा। सदस्य की ओर बकाया किसी भी प्रकार की राशि या लोन की राशि घटाकर वह शेष बची राशि "संस्था" से प्राप्त कर सकेगा।

11.9 नामांकन का अधिकार।

11.10 "संस्था" के अन्य सदस्यों अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसे सदस्य बनाये जाने की स्वीकृति संस्था द्वारा प्रदान की जा चुकी है को अपना अंश हस्तांतरण कर सकने का अधिकार।

उपविधि क्रमांक – (12) सदस्यता के अधिकार (मत देने के अधिकार सहित) का प्रयोग करने के लिये पात्रता बनाये रखने के लिये सदस्यों की न्यूनतम प्रतिबद्धताएं –

"संस्था" के प्रत्येक सदस्य को सदस्यता बनाये रखने व मत देने के लिये पात्रता धारण करने के लिये निम्न कृत्य आवश्यक होंगें –

12.1 "संस्था" के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जा रहे कार्य /कार्यवाहियों के संचालन में संस्था के पदाधिकारियों /अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

12.2 "संस्था" के सदस्य होने के लिये आवश्यक अनिवार्यताएं बनाये रखना।

12.3 "संस्था" के हितो के विरूद्ध कार्य न करना।

12.4 "संस्था" के व्यवसाय के समान ऐसा व्यवसाय प्रारम्भ न करना जिससे "संस्था" के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो।

12.5 "संस्था" द्वारा उसे जिन शर्तो पर सेंवाएं/लोन आदि प्रदान किया गया हो उनका पालन करना।

12.6 "संस्था" के सुचारू रूप से संचालन हेतु उसके पदाधिकारियों /अधिकारियों द्वारा दिये गये विधि सम्मत निर्देशों का पालन करना।

12.7 "संस्था" के पक्ष में उसकी देयताओ को समय पर पूर्ण करना।

उपविधि क्रमांक – (13) सदस्य द्वारा शोध्य या किसी रकम के संदाय में व्यतिक्रम का परिणाम –

किसी सदस्य द्वारा "संस्था" से शोध्य किसी रकम के संदाय को व्यतिक्रम के परिणाम स्वरूप निम्न बिन्दु प्रभावशील होगें –

13.1 यदि व्यतिक्रम की अवधि 12 माह से अधिक होगी तब सदस्य अपने मत का प्रयोग प्रबंध समिति (यदि वह प्रबंध समिति में पदाधिकारी/सदस्य के रूप में कार्यरत है) अथवा आमसभा विशेष आमसभा या "संस्था" के कार्य संबंधी बैठक में करने के लिये योग्य नही रहेगा अर्थात अयोग्य हो जावेगा तथा प्रबंध समिति का सदस्य चुने जाने के लिये पात्र नही रह सकेगा।

13.2 यदि व्यतिक्रम की अवधि 2 वर्ष से अधिक हो जाती है तथा सदस्य संस्था को रकम जमा कराने की अवधि बढाने का कोई तथ्यपूर्ण व्यवहारिक प्रस्ताव नही करता है तथा संस्था अधिनियमो अथवा नियमो अनुसार रकम वसूल करने की कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगी।

13.3 व्यतिवम की अवधि 2 वर्ष से अधिक हो जाने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त किये जाने का प्रस्ताव प्रबंध समिति में विचार हेतु रखा जाकर निर्णय लिया जा सकेगा, परंतु ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पूर्व सदस्य को सुने जाने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक – (14) अधिकृत अंशपूंजी :–

"संस्था" की अधिकृत अंशपूंजी (पांच लाख रूपये) होगी। इस प्राधिकृत अंशपूंजी में कमी अथवा वृद्धि व्यापक सम्मिलन के ठहराव से पंजीयक एवं उप आयुक्त सहकारी संस्थाऐं के अनुमोदन के बाद की जा सकेगी। प्रत्येक अंश का मूल्य रूपयें 500.00 होगा।

उपविधि क्रमांक – (15) सदस्यों के अंश :–

15.1 प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश लेना आवश्यक होगा। कोई सदस्य उस समय तक बिके हुये अंशों की वसूल आई हुई रकम के 1/5 या 20,000.00 रू. जो भी कम हो मूल्य के अंश ले सकेगा। यदि किसी मृत सदस्य का उत्तराधिकारी होने से अथवा अन्य किसी कारण से किसी के पास इस सीमा से अधिक मूल्य के अंश हो जावे तो प्रबंधकारिणी समिति को अधिकार होगा कि अधिक अंश लेने वालो को बेंच दे लेकिन उपरोक्त सीमा राज्य शासन द्वारा लिये गये अंशपूंजी के लिये लागू नही होगी।

15.2 एक अंश का मूल्य रूपयें 1,000.00 होगा और सदस्य को लिये गये अंशों की पूरी रकम एक साथ जमा करना होंगी।

उपविधि क्रमांक – (16) अंशप्रमाण पत्र व हस्तांतरण :–

16.1 एक अंशप्रमाण पत्र लिये हुये अंश अथवा अंशों के लिये दिया जावेगा जिस पर "संस्था" के अध्यक्ष तथा प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगें और "संस्था" की मुद्रा लगाई जावेगी। कोई सदस्य अंश को कम से कम एक वर्ष रखने के बाद प्रबंधकारिणी समिति की स्वीकृति से किसी दूसरे सदस्य को अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसे सदस्य बनाना समिति ने स्वीकृत किया हो, हस्तांतरण कर सकता है।

16.2 किसी भी अंश की बिक्री उपहार बंधक या अन्य किसी प्रकार से तब तक हस्तांतरण नही किया जावेगा जब तक कि उसकी पूरी रकम प्राप्त न हो जाये और अंश लेने के संबंध में उपविधि में निर्धारित अधिकतम सीमा संबंधी शर्त पूरी न की जायें।

16.3 यदि किसी सदस्य के पास दान स्वरूप या अन्य किसी प्रकार से उपविधि में अनुमत अधिकतम संख्या से अधिक अंश हो जायें जो प्रबंध समिति की यह शक्ति होगी कि वह इन अतिरिक्त अंशों को बेचने या "संस्था" की ओर से इन्हे खरीद ले और इससे प्राप्त रकम को उस सदस्य के नाम से जमा कर ले।

उपविधि क्रमांक – (17) अंषो की वापसी :–

उस सदस्य को जिसका संबंध "संस्था" के उपविधि 10(अ) अथवा 10(ब) के अनुसार टूट गया हो उसके अंश के उस समय के मूल्य के समान उतनी रकम सहकारी सोसायटी नियमों के अनुसार प्रबंधकारिणी समिति निश्चित करे तथा उनको जमा की हुई रकम से अधिक न हो छः मास के भीतर वापस दी जावेगी।

यह रकम उस रकम को घटाकर जो उससे "संस्था" को लेनी है वापस दी जावेगी परंतु किसी वर्ष में पिछले 31 मार्च पर अंशों की रकम जो जमा हो उसके 1/10 से अधिक रकम इस प्रकार वापस नही की जावेगी।

उपविधि क्रमांक – (18) सदस्य का दायित्व :–

18.1 उस ऋण तथा अन्य देनदारी के लिये जो "संस्था" पर हो सदस्यों का दायित्व उनके अंशों के कुल मूल्य तक सीमित होगा तथा राज्य शासन व नाम मात्र सदस्यों का दायित्व खरीदे हिस्सों के मूल्य तक रहेगा।

18.2 पिछले सदस्यों का दायित्व उस ऋण तथा अन्य देने के लिये जो संस्था पर उसके अलग होने के समय हो उसके अलग होने से दो वर्ष तक रहेगा। ऐसा दायित्व नाम मात्र सदस्यों व राज्य शासन पर न होगा।

18.3 मृत सदस्य के नामिनी/उत्तराधिकारी, संपत्ति ऋण तथा अन्य देने के लिये जो उसके मृत्यु की तारीख को संस्था पर देय हो सदस्य के मरने की तारीख से दो वर्ष तक उत्तरदायी होंगे।

उपविधि क्रमांक – (19) पूंजी व निधियां :–

19(क) पूंजी निम्नलिखित साधनो से एकत्रित की जावेगी –

1. प्रवेश शुल्क द्वारा
2. अंश निर्गमन द्वारा
3. अमानत जमा कराके या अग्रिम धन लेकर
4. ऋण लेकर
5. अनुदान आदि लेकर और
6. लाभ मे से रक्षित निधि आदि निधियॉ बनाकर आदि

19(ख) पंजीयक की स्वीकृति के बिना ऋण तथा अमानत की रकम अंश की वसूल की हुई रकम तथा रक्षित निधि के 10 गुने से अधिक नही होगी। "संस्था" की पूंजी उपविधि 3 में उल्लेखित कार्यों में लगाई जावेगी।

19(ग) सदस्यों से ऋण और जमा रकमें उस सीमा और उन शर्तो के अधीन ली जावेगी जो पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा निर्धारित की जावें इस ऋण में वह रकम नही होगी जो रहन रखकर बैंको से उधार ली है।

19(च) संस्था राज्य सरकार राज्य शासन में कार्य कर रहे किसी विधि के अधीन बैंक वित्तीय निगमों, नियमित निकायों और व्यक्तियों से निक्षेप व उधार प्राप्त कर सकेंगी। नाम मात्र की सदस्यता प्रदान कर विशिष्ट करार या अनुमोदित परियोजना के अधीन अंशपूंजी के रूप में निधि भी प्राप्त कर सकेगी तथा किसी अन्य सोसायटी को उधार दे सकेगी।

उपविधि क्रमांक – (20) निधियों का प्रयोग :–

"संस्था" की निधियो का प्रयोग "संस्था" के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक एवं सबंधित गतिविधियां संचालित करने में सामान्यतः किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक – (21) निक्षेप, ऋण–पत्र एवं अन्य निधियां सीमा व शर्ते :–

"संस्था" अपनी प्रदत्त अंशपूंजी तथा रक्षित निधि में से संचित हानि को घटाने के बाद बची राषि से अधिकतम 10 गुना तक निक्षेप ऋण पत्रो के माध्यम से निधियां सदस्यों/असदस्यों /वित्तीय संस्थानो/शासन से प्राप्त कर सकेगी। जिनके लिये शर्तो प्रबंध समिति द्वारा आमसभा में अनुमोदन उपरांत तय की जावेगी। "संस्था" द्वारा लोन एवं अमानतो के लिये अलग से पंजी रखेगी जिसमें आवष्यक प्रविष्टियां होगी तथा इसकी जानकारी आमसभा में भी सदस्यों को दी जायेगी।

उपविधि क्रमांक – (22) राज्य सहायता एवं वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्रयोजन व शर्ते –

"संस्था" समय समय पर आवश्यकता एवं विभिन्न शासकीय/अशासकीय योजनाओ के माध्यम से उपलब्धता अनुसार सहायता (ग्रांट आदि) प्राप्त कर सकेगा, इस प्रकार से प्राप्त निधियों का उपयोग "संस्था" के गठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक एवं संबंधित गतिविधियों के संचालन में किया जावेगा। प्रबंध समिति द्वारा इस संबंध में आवश्यक शर्तों का निर्धारण किया जायेगा।

उपविधि क्रमांक – (23) लाभ अथवा अधिशेष का व्ययन :–

आमसभा की स्वीकृति से शुद्ध लाभ (नेट प्राफिट) का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा –

23.1 कम से कम 25 प्रतिषत राशि रक्षित निधि में स्थानांतरित की जावेगी।

23.1 (क) "संस्था" के सदस्यों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु 2 प्रतिषत राशि प्रशिक्षण निधि में प्रत्येक वर्ष अंतरित की जावेगी।

23.2 शेष राशि में से 50 प्रतिशत तक लाभांश का वितरण अंशधारियों को आमसभा से अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा।

23.3 शेष राशि में से संस्था के कर्मचारियों को बोनस एक्ट 1968 के प्रावधानों अनुसार बोनस वितरण हेतु।

23.4 बाकी रकम रक्षित निधि में या "संस्था" के सदस्यों के लिये सामाजिक मनोरंजन /शैक्षणिक कार्य हेतु उपयोग या इस हेतु निर्मित निधि में जमा की जावेगी।

नोट – हस्तांतरित किये हुये अंशों का लाभांश उन सदस्यों को दिया जावेगा जिनके नाम पिछले वर्ष के अंतिम दिवस पर रजिस्टर में अंकित हो।

उपविधि क्रमांक – (24) निधियां /कोषों का गठन और उनका प्रयोजन :–

24.1 "संस्था" अपने गठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सदस्यों /असदस्यों आदि के उत्थान एवं कल्याण के लिये कल्याण कोषों का गठन कर सकेगी। इस हेतु राशि उपविधि क्रमांक 23(4) में दिये अनुसार उपयोग की जा सकेगी।

24.2 "संस्था" ''प्रशिक्षण निधि'' के नाम से जानी जाने वाली एक पृथक निधि का सृजन करेगा जिसमें उसके लाभ की दो प्रतिशत रकम संस्था के सदस्यों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिये प्रत्येक वर्ष अंतरित करेगा।

उपविधि क्रमांक – (25) साधारण /विशेष आमसभा को बुलाने की रीति व गणपूर्ति –

25.1 "संस्था" के कारोबार के संबंध में साधारण सभा को पूर्ण अधिकार होगे, वार्षिक आमसभा की बैठक प्रतिवर्ष सहकारी वर्ष की समाप्ति के 6 मास के भीतर आहूत की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो संचालक मंडल के प्रस्ताव अथवा संस्था के कम से कम 1/10 सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें आमसभा के बुलाने के अथवा पंजीयक के आदेश पर विशेष आमसभा की बैठक एक माह के अंदर बुलाई जावेगी। स्ंस्था के पंजीयन के पश्चात् सदस्यों की जो प्रथम आमसभा होगी उसको भी वही अधिकार होगें जो इन उपविधियों में वार्षिक आमसभा को दिये गये।

25.2 बैठक की सूचना – आमसभा की कार्य सूंची, दिनांक, समय तथा स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को 14 दिवस पूर्व दी जावेगी, उपविधियों मे संशोधन की स्थिति में प्रस्तावित संशोधन की रूपरेखा सूचना के साथ प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। आमसभा/विशेष आमसभा की सूचना साधारण डाक से या व्यक्तिशः पावती प्राप्त करके दी जावेगी। आमसभा/विशेष आमसभा की सूचना के क्षेत्र में प्रसारित अधिकतम 02 स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराई जावेगी।

स्पष्ट 14 दिवस पूर्व पंजीकृत डाक से जारी की गई सूचना, समय पर तामिल न होने के कारण, बैठक की कार्यवाही अवैध नही होगी।

25.3 **गणपूर्ति/कोरम** – आम सभा या विशेष आमसभा की बैठक के लिये गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी। आमसभा या विशेष आमसभा की सूचना जारी करने के दिनांक को "संस्था" की कुल सदस्य संख्या का 1/10 अथवा 50 सदस्यों में से जो भी कम हो गणपूर्ति के लिये आवश्यक होगा। यदि बैठक के लिये नियत समय के आधा घण्टे भीतर गणपूर्ति न हो तो बैठक; जब तक की बैठक बुलाये जाने के सूचना पत्र में अन्यथा उल्लेखित् न हो, अध्यक्ष द्वारा ऐसी तारीख, ऐसे समय और स्थान के लिये स्थगित कर दी

जायेगी, जैसा कि वह घोषित करें और स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और स्थगित बैठक में सदस्यों को सूचना के साथ परिचालित की गई कार्य सूची के विषयों पर भी चर्चा की जावेगी। परन्तु आमसभा/विशेष आमसभा की बैठक जो धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की अध्यपेक्षा पर बुलाई गई हो, स्थगित नहीं की जावेगी किन्तु विघटित कर दी जावेगी।

25.4 साधारण /विशेष सम्मिलन का कार्यवाही विवरण /कार्यवृत्त साधारण /विशेष सम्मिलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को सम्मिलन की समाप्ति के 30 दिन के भीतर परिचालित किया जाएगा।

<u>उपविधि क्रमांक – (26) साधारण सम्मेलनों की आवृत्ति –</u>

वार्षिक आमसभा की बैठक प्रति वर्ष सहकारी वर्ष की समाप्ति के 6 मास के भीतर आहूत की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो संचालक मण्डल के प्रस्ताव अथवा संस्था के कम से कम 1/10 सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें आमसभा बुलाने की मांग की गई है अथवा पंजीयक के आदेश पर विशेष आमसभा की बैठक एक माह के अन्दर बुलाई जा सकती है।

<u>उपविधि क्रमांक – (27) साधारण सभा में मताधिकार :–</u>

व्यापक सम्मेलन (साधारण सभा) में प्रत्येक उपस्थित सदस्य को चाहे उसके कितने ही अंश क्यों न हों, केवल एक मत देने का अधिकार होगा। कोई भी सदस्य अपने प्रतिनिधि द्वारा मतदान नही कर सकेगा। उन मामलों के अतिरिक्त जिनके निर्णय के लिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम उसके अन्तर्गत् नियम या "संस्था" की उपविधियों में विशेष बहुमत से होगा, दोनों पक्षों के समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। "संस्था" की प्रबंध समिति का चुनाव अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान अनुसार होगा। चुनाव के अतिरिक्त सामान्य विषयों में मतगणना हाथ उठाकर अथवा उसी पद्धति से जो सभा के अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जावे, सम्पन्न होगी।

<u>उपविधि क्रमांक – (28) साधारण सभा के विषय :–</u>

व्यापक सम्मेलन में उपस्थित सदस्यो के 2/3 के बहुमत से कोई सदस्य कार्य सूंची में न लिया हुआ प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा प्रश्न किसी सदस्य के निकाले जाने अथवा निकाले हुये सदस्यों को फिर से भर्ती करने अथवा इन उपविधियों में संशोधन करने के संबंध में अथवा ब्याज व पारिश्रमिक की दरों में घट बढ़ करने के बारे में नहीं होगा।

<u>उपविधि क्रमांक – (29) साधारण सभा की अध्यक्षता :–</u>

"संस्था" का अध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि दोनों उपस्थित न हो तो संस्था के अन्य सदस्यों में से जिसको उपस्थित सदस्य निर्वाचित करें साधारण/विशेष साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा।

परन्तु ऐसी स्थिति में जबकि अधिनियम की धारा–49(8) के तहत् पंजीयक द्वारा "संस्था" का कार्यभार संभाल लिया गया हो, अथवा धारा–53(13) के तहत् निर्वाचित प्रबंध समिति के स्थान पर नामांकित समिति गठित की गई हो, साधारण सभा की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

उपविधि क्रमांक – (30) आमसभा के कर्त्तव्य एवं अधिकार :–

वार्षिक आमसभा में उन कार्यो के अतिरिक्त जो इन उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत हो निम्नलिखित कार्य होंगें –

1 इन उपविधियों के अनुसार संचालक मंडल /प्रबंध समिति के सदस्यों का चुनाव कराना।

2 वार्षिक पत्रक और उनसे संबंधित संपत्ति की रिपोर्ट पर विचार करना।

3 लाभ का वितरण स्वीकृत करना।

4 निधियों का निर्माण करना।

5 "संस्था" का वार्षिक बजट स्वीकृत करना।

6 यह निश्चित करना कि अमानतें /लोन कितना किस अवधि के लिये और किस ब्याज दर पर लिया जाये।

7 संस्था के वार्षिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

8 "संस्था" के आडिट तथा निरीक्षण टीप पर समिति द्वारा की गई कार्यवाही पर विचार करते हुये आवश्यकतानुसार उचित निर्देश देना।

9 "संस्था" के कार्य संचालन के लिये उपविधियों में आवश्यक संशोधन पर विचार करना।

10 संचालक मंडल के सदस्यों पर बकाया लोन व अन्य अग्रिम की जानकारी से अवगत कराना होगा।

11 अन्य बातों पर विचार करना जो संचालक मंडल या सदस्य की ओर से प्रस्तुत किये जावें।

12 गत आमसभा की कार्यवाहियों की पुष्टि करना।

उपविधि क्रमांक – (31) उपविधि के बनाने /संशोधन करने की रीति :–

"संस्था" के गठन के समय प्रस्तुत उपविधियां उप पंजीयक कार्यलय से अनुमोदन उपरांत लागू होगी। तदुपरांत सिवाय आमसभा अथवा विशेष आमसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत के इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का संशोधन नही हो सकेगा, सम्मेलन/सभा बुलाने के सूचना पत्र में प्रस्तावित संशोधन लिखा जावेगा और सूचना पत्र कम से कम 14 दिन पहले दिया जावेगा ऐंसा संशोधन इस समय तक व्यवस्था में न आ सकेगा जब तक कि पंजीयक उसको स्वीकृत कर उसका पंजीयन न कर ले।

उपविधि क्रमांक – (32) निर्वाचन संचालन की प्रक्रिया :–

"संस्था" के संचालक मंडल के सदस्यों/ अध्यक्ष /उपाध्यक्षों, सहकारी बैंक अथवा अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधियों के चुनाव का संचालन, म.प्र. राज्य सहकारी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 तथा उसमें समय समय पर हुये संशोधन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार होगा।

उपविधि क्रमांक – (33)(अ) प्रबंध समिति/संचालक मंडल का गठन :–

33(अ) "संस्था" का कार्य संचालन प्रबंध समिति /संचालक मंडल के द्वारा किया जायेगा, इसमें कुल 14 सदस्य होंगें, जिनमें से 11 सदस्यों का निर्वाचन पंजीयक द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा आमसभा में किया जावेगा। निर्वाचित सदस्यों मे से दो स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगें। यदि स्संथा ऐसे दो आरक्षित

स्थानो का निर्वाचन कराने में असफल रहे तो ऐसे आरक्षित स्थान की पूर्ति निर्वाचित सदस्यों द्वारा महिला सदस्यों में से सहयोजन से की जावेगी।

उक्त 11 सदस्यों के अतिरिक्त दो पदेन सदस्य होगें, जिनमें से एक सदस्य उप पंजीयक/सहायक पंजीयक या उनका प्रतिनिधि होगा।

33(ब) "संस्था" की प्रबंध समिति संचालक मंडल में एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष रहेंगे।

33(स) "संस्था" की प्रबंध समिति में निम्नानुसार स्थान आरक्षित होंगें –

यदि संस्था में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के वैयक्तिक सदस्य है तो एक स्थान उस प्रवर्ग के सदस्य के लिये आरक्षित रखा जावेगा जिसके अन्य की अपेक्षा अधिक सदस्य हैं।

33(द) प्रतिनिधि का चुनाव –

"संस्था" की प्रबंध समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ अन्य सोसायटी जिसका कि वह सदस्य है में "संस्था" का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रतिनिधि चुनेगी और ऐसे चुने हुये प्रतिनिधि को संस्था के चुनाव होने तक वापस नही बुला सकेगा–

33(द)(1) संचालक मंडल की आकस्मिक रिक्तियों को यदि संचालक मंडल की अवधि उस तारीख को जिसको कि रिक्ति हुई है , दो वर्ष या उससे कम है तो उसी वर्ग के सदस्यों के सहयोजन द्वारा भर सकेगा । परंतु यदि संचालक मंडल के सदस्यों की शेष अवधि दो वर्ष से अधिक है और जहां निर्वाचन के पश्चात स्थान रिक्त रह जाता है या कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो रिक्ति सदस्यों के सभी वर्ग से जिसके कि संबंध में रिक्ति उद्भूत हुई है, निर्वाचन द्वारा भरी जायेगी ।

आरक्षित स्थान निर्वाचन द्वारा न भरे जाने की स्थिति में प्रबंध समिति /संचालक मंडल के निर्वाचित सदस्य सहयोजन के लिये आयोजित बैठक में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वर्ग के सदस्यों मे से करेंगे जो सहयोजन के लिये स्थान आरक्षित है। कोरम के अभाव में सहयोजन नही किया जावेगा। प्रबंध समिति/संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन होने पर प्रबंध समिति अपने सदस्यों में से अध्यक्ष, 2उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगें। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधियों के निर्वाचन या सहयोजन के लिये आयोजित बैठक की अध्यक्षता उस निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी, जिसे प्राधिकारी, निर्वाचन हेतु नियुक्त करें।

<u>उपविधि क्रमांक – (34) संचालक होने की पात्रता</u> :– किसी भी व्यक्ति में संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिये निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है –

34.1 निर्वाचन दिनांक से 45 दिन पूर्व से संस्था की सदस्यता प्राप्त कर चुका हो तथा कम से कम एक अंश का स्वामी हो (प्रथम संचालक मंडल के गठन के लिये 45 दिन पूर्व की अनिवार्यता लागू नही होगी।)

34.2 वह संस्था में किसी लाभ के पद पर न हो।

34.3 संस्था के व्यवसाय के समान ऐसा व्यवसाय न करता हो जिससे संस्था के हितों पर कुठराघात होता हो।

34.4 वह संस्था के लिये हुये किसी लोन या अग्रिम चुकाने में 12 माह से अधिक का डिफाल्टर न हो।

34.5 केन्द्र/राज्य सरकार या सहकारी संस्था की सेवा से बर्खास्त न किया गया हो।

34.6 म.प्र.सह. सोसायटी अधिनियम 1960 के अनुसार संचालक मंडल में पद धारण करने के लिये अयोग्य न हो।

34.7 दिवालिया या पागल न हो।

34.8 अध्यक्ष या सभापति अथवा उपाध्यक्ष या उप सभापति के लिये अयोग्यता –

अ) कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के अध्यक्ष या सभापति अथवा उपाध्यक्ष या उपसभापति के रूप में निर्वाचित होने के लिये पात्र नही होगा यदि वह संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य है या जो जिला पंचायत जनपद पंचायत नगरीय स्थानीय निकाय मंडी बोर्ड या मंडी समिति में कोई पद धारण करता है किंतु वे व्यक्ति किसी समिति के संचालक या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो सकेंगें।

ब) कोई भी व्यक्ति सोसाईटी के किसी विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित होने या नियुक्त किये जाने के लिये पात्र नही होगा और वह उस रूप में अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा यदि वह उस सोसाइटी में कोई विनिर्दिष्ट पद अपने निर्वाचन या अपनी नियुक्ति या दोनो कालावधि को सम्मिलित करते हुये दो लगातार कार्यकालों तक या ग्यारह वर्षो की लगातार कालावधि तक, इनमें से जो भी कम हो धारण कर चुका हो। परंतु किसी व्यक्ति को ऐसे विनिर्दिष्ट पद पर तब तक पुनः निर्वाचित या पुनर्नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि एक पूरे कार्यकाल के बराबर की कालावधि का अवसान न हो गया हो।

34.9 यदि कोई संचालक पदाधिकारी प्रतिनिधि हो, सहकारी अधिनियम की धारा 50(क) के अंतर्गत कोई निरर्हता व्याप्त है, तो वह ऐसे पद पर नही रह पायेगा, यदि वह सहकारी अधिनियम की धारा 50(क) में विनिर्दिष्ट निरर्हता से निरस्त हो जाता है तथा उप/सहायक पंजीयक उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा, संस्था प्रबंधक ऐसे संचालकों/प्रतिनिधियों की जानकारी ऐसी निरर्हता धारण करने के 15 दिवस के अंदर जिले के उप/सहायक पंजीयक को देंगे।

<u>उपविधि क्रमांक – (36) संचालक होने की पात्रता :–</u>

कोई भी व्यक्ति संचालक पद पर तब तक बना रह सकता है –

35.1 जब तक वह संचालक नियुक्त होने के लिये उपविधि क्रमांक 34 में लिखित अनिवार्य योग्यताएं पूर्ण करता हो

35.2 जब तक कि भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार अनुबंध करने योग्य हो

35.3 जब तक उसे निर्वाचित होने के बाद में किसी अयोग्यता के धारण करने के कारण संचालक के पद से हटा न दिया गया हो।

<u>उपविधि क्रमांक – (36) प्रबंध समिति का कार्यकाल :–</u>

36(अ) प्रबंध समिति /संचालक मंडल के सदस्यों एवं पदाधिकारियों (अध्यक्ष /उपाध्यक्ष) का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना संचालक मंडल की प्रथम बैठक जिसमें अध्यक्ष /उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो, के दिनांक से होगी।

36(ब) "संस्था" की प्रथम प्रबंध समिति 03 माह के लिये पंजीयक द्वारा नामांकित की जावेगी ।

36(स) यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य समिति की तीन लगातार बैठकों में कोई ऐसा कारण बताये बिना जिसे समिति उचित समझे, अनुपस्थित रहे तो यह समझा जावेगा कि वह प्रबंध समिति का सदस्य नही रहा।

<u>उपविधि क्रमांक – (37) अध्यक्ष /उपाध्यक्ष एवं संचालको को हटाने और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया :–</u>

37.1 अध्यक्ष /उपाध्यक्ष /संचालकों को हटाने की प्रक्रिया –

संचालक मंडल के किसी भी सदस्य /पदाधिकारियों को संचालक मंडल से हटाने के लिये उनके विरूद्ध लाये गये प्रस्ताव संचालक मंडल अपनी बैठक में मत देने के लिये उपस्थित सदस्यों मे से 2/3

सदस्यों के बहुमत से ऐसे संचालक या अन्य पदाधिकारियों को हटाने की अनुशंसा करने का प्रस्ताव पास कर सकेगा तथा संबंधित सदस्यों /पदाधिकारी को ऐसा प्रस्ताव पास करने के उपरांत न्यूनतम 15 दिन की समयावधि में जबाब देने का अवसर देते हुये कारण बताओं नोटिस व्यक्तिगत रूप से पावती लेकर अथवा पंजीकृत डाक से अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपलब्धता पर उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रेषित किया जा सकेगा। अध्यक्ष के स्वयं ऐसे प्रकरण में शामिल होने पर उपाध्यक्ष ऐसे कारण बताओं सूचना पत्र पर हस्ताक्षर कर सकेगा। उक्त नियत अवधि के बीतने के उपरांत अथवा समयावधि में प्राप्त जबाब को संतोषप्रद न पाये जाने पर संचालक मंडली अपनी अगली बैठक में मत देने के लिये उपस्थित कुल सदस्यों मे से 2/3 सदस्यों के बहुमत से ऐसे संचालक/पदाधिकारी को संचालक मंडल से हटाने का निर्णय पारित किया जा सकेगा ऐसी बैठक की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा की जावेगी। संचालक मंडल के किसी भी संचालक पदाधिकारी को हटाने के लिये जारी नोटिस में उन कारणों का स्पष्टतः उल्लेख किया जावेगा जिन पर विचार उपरांत संचालक मंडल द्वारा उसे हटाये जाने की अनुशंसा की गई हो। ऐसे किसी भी पदाधिकारी संचालक को हटाये जाने का निर्णय होने पर अध्यक्ष /उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर (उसकी मुद्रा सील) से जारी सूचना पत्र से संबंधित को व्यक्तिगत रूप से पावती लेकर या पंजीकृत डाक से प्रेषित कर निर्णय से अवगत कराया जा सकेगा। संबंधित संचालक ऐसे किसी भी निर्णय के विरूद्ध उसे हटाये जाने के निर्णय के आदेश के जारी होने के दिनांक से अधिकतम 30 दिनो के अंदर पंजीयक के पास अपील कर सकेगा।

37.2 रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया :–

यदि किसी समय प्रबंध समिति में से किसी सदस्य /संचालक का पद संस्था द्वारा अन्य सहकारी संस्थाओं को भेजे गये प्रतिनिधि या "संस्था" के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद त्याग देने देहावसान हो जाने या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो ऐसे रिक्त पद की पूर्ति इस हेतु बुलाई गई बैठक में ही की जावेगी और ऐसी बैठक की अध्यक्षता प्राधिकारी के आदेश द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी। इस हेतु बुलाई गई बैठक में गणपूर्ति (कोरम) होना आवश्यक होगा।

<u>उपविधि क्रमांक – (38) संचालक मंडल के सम्मेलनों को बुलाने की रीति और उसकी गणपूर्ति (कोरम) :–</u>

38.1 प्रबंध समिति /संचालक मंडल के सम्मेलन आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में व अधिकृत किये जाने पर उपाध्यक्ष द्वारा न्यूनतम एक सप्ताह का लिखित नोटिस देकर बुलाया जा सकेगा। ऐसे सूचना पत्र में सम्मेलन का दिनांक स्थान समय का स्पष्ट उल्लेख होगा। सूचना पत्र व्यक्तिशः तामील कराया जावेगा या नामांकित व्यक्ति के कार्यालय पर व अशासकीय सदस्य के निवास पर उसके साथ निवास करने वाले किसी संबंधित बालिग व्यक्ति के हस्ताक्षर निवास पर छोडा जा सकेगा। बैठक के लिये निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय के 30 मिनट बीतने पर भी कोरम न हो तो बैठक दूसरी अन्य तारीख समय व स्थान के लिये स्थगित कर दी जावेगी जैसा सूचना पत्र में उल्लेखित हो, अन्यथा उपस्थित सदस्य निश्चित करें। परंतु ऐसी बाद में होने वाली बैठक के लिये कोरम आवश्यक नही होगा।

38.1ण्1 आवश्यक परिस्थिति में जबकि कमेटी की बैठक बुलाने के लिये पर्याप्त समय न हो तो कमेटी के सदस्यों में कागजात परिचालित कर आदेश प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कागजात परिचालित कर लिये गये निर्णय को कमेटी की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जावेगा।

38.2 कोरम – संचालक मंडल की बैठक के लिये कोरम 1/2 अथवा 6 सदस्य जो भी अधिक हो होगा।

उपविधि क्रमांक – (39) संचालक मंडल के सम्मेलनो की आवृत्ति :–

प्रबंध समिति /संचालक मंडल की बैठक आवष्यकतानुसार बुलाई जावेगी। परंतु कम से कम तीन माह में एक बार बैठक अवष्य बुलाई जावेगी। यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य लगातार तीन बैठको में संचालक मंडल की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो प्रबंधक समिति उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रबंध समिति की सदस्यता से अलग कर सकती है। ऐसा अलग हुआ सदस्य फिर एक वर्ष तक प्रबंध समिति का सदस्य नही चुना जा सकेगा। सब प्रस्तावो का निर्णय बहुमत से किया जावेगा। दोनो पक्षो में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

उपविधि क्रमांक – (40) प्रबंध समिति /संचालक मंडल के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

40(अ) प्रबंध समिति के निम्नानुसार अधिकार एवं कर्त्तव्य होगें –

40.1 उन प्रस्तावों का पालन करते हुये जो आमसभा समय समय पर पारित करें उसके तथा "संस्था" के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये भूमि, भवन, वाहन या अचल /चल संपत्तियां मोल लेना, प्राप्त करना, पटटे पर लेना अन्य संबंधित कार्य करना। उक्त कार्य संचालक मंडल के अनुमोदन उपरांत ही संपन्न किये जा सकेंगें।

40.2 संस्था के समस्त वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति उनको अधिकार व कार्य आबंटित करना,दंडित, पदोन्नत करना, उनसे आवश्यक प्रतिभूति लेना, उनकी योग्यताएं व सेवा शर्ते निर्धारित करना।

40.3 आमसभा द्वारा स्वीकृत बजट के अंदर खर्च करना।

40.4 नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान करना और उनसे अंश स्वीकृत करना तथा सदस्यों के सदस्यता अंश स्वीकृत या अंश वापसी संबंधी प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और उनका स्वीकृत या अस्वीकार करना।

40.5 "संस्था" के कामकाज संबंधी षिकायतों की सूचना और उनका निराकरण करना।

40.6 "संस्था" की ओर से लोन लेना और यह तय करना कि लोन दस्तावेजों पर संस्था की ओर से कौन हस्ताक्षर करेगा।

40.7 सदस्यों के त्याग पत्र पर विचार कर स्वीकार करना और इसी प्रकार निष्कासन पर निर्णय लेना।

40.8 अमानतें प्राप्त करना।

40.9 प्रबंधक के कार्यो की जांच करना और यह देखना कि "संस्था" के हिसाब के या अन्य रजिस्टर ठीक ढंग से रखे जाते है।

40.10 जो वैधानिक कार्यवाही या वाद "संस्था" की ओर से या उनके किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध संस्था के कारोबार के संबंध में हो उनमें पैरवी करना, समझौता करना या वाद वापस लेना तथा "संस्था" की ओर से पैरवी करने के लिये संस्था के किसी संचालक/कर्मचारी/या बाहरी वकील को अधिकृत करना।

40.11 पंजीयक एवं सहकारी अंकेक्षक को "संस्था" के निरीक्षण हेतु कागजात व रजिस्टर प्रस्तुत करना, उनके

अंकेक्षण तथा निरीक्षण टीप का पालन करना पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कराना तथा पालन प्रतिवेदन और उत्तरो को आमसभा में प्रस्तुत करना।

40.12 "संस्था" का वार्षिक आय व्यय पत्रक बनवाना और आगामी वर्ष के लिये आय व्यय का पत्रक बनाकर आमसभा में प्रस्तुत करना।

40.13 पंजीयक द्वारा अंकित अंकेक्षण शुल्क आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अंदर शासकीय कोषालय में जमा करवाना।

40.14 "संस्था" की ओर से केन्द्रीय सहकारी बैंक के अंशक्रय करना, वापस करना, आवश्यक हस्ताक्षर करना।

40.15 अधिनियम की धारा 44 के अनुसार पूंजी का विनियोजन करना।

40.16 अधिनियम की धाराओं के अनुसार आमसभा /विशेष आमसभा की बैठक बुलाना।

40.17 संचालक मंडल के निर्वाचित सदस्यों मे से अन्य संस्थाओं के लिये प्रतिनिधि का निर्वाचन कराना।

40.18 प्रत्येक सहकारी वर्ष 31 मार्च के अंत में स्ंस्था के वित्तीय पत्रक तैयार कर पंजीयक को प्रस्तुत करना।

40.19 संचालक मंडल के सदस्यों के त्याग पत्र देने पर संचालक मंडल में उन पर विचार करना एवं इसी अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

40.20 "संस्था" के कारोबार के संचालन के संबंध में अधिनियम नियम तथा इन उपविधियों को दृष्टिगत रखते हुये संचालक मंडल के अनुमोदन पर पूरक नियम बनाना और आमसभा से अनुमोदन के पश्चात् उन पर कार्य करना।

40.21 सदस्यों को प्रदाय की गई सेवाओं की कीमत बाजार के उतार चढाव के साथ नियमित करना तथा आपातकालीन स्थिति में सेवाये नियमित रूप से दी जावें ऐसी व्यवस्था करना।

40.22 प्रत्येक सहकारी वर्ष के अंत में स्ंस्था के सदस्यों की सूची तैयार कराकर प्रकाषित करवाना, जिसमें सदस्यों का वर्ग जैसे अनु.जाति /जनजाति व महिला का उल्लेख सदस्य के नाम के समक्ष दर्शाया जावेगा। ऐसी सूची "संस्था" के एवं वित्तदायी संस्था के कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी।

40.23 लोकहित में "संस्था" की गतिविधियों /सेवाओं/ सुविधाओं को नागरिकों को उपलब्ध कराना।

40.24 "संस्था" की उपविधियों में आवश्यकतानुसार संशोधन करवाना।

40.25 "संस्था" के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य सभी कार्यवाहियां करना।

40.26 यह देखना कि "संस्था" के वेतन भोगी कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक से कर रहे हैं तथा "संस्था" की संपत्ति ठीक प्रकार एवं ठीक दशा में रखी जाती है।

40.27 "संस्था" के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन करने के लिये कमेटी के सदस्यों में काम का विभाजन करना एवं "संस्था" के समस्त अथवा कुछ अधिकारियों को अपने समस्त अथवा कुछ अधिकार सौंपना।

40.28 "संस्था" के प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों से प्रतिभूति लेना जो पंजीयक द्वारा निर्धारित मान से कम न हो।

40.29 यह निश्चित करना कि संस्था के उन सदस्यों में से जो कि शासकीय अथवा स्थानीय संस्था के कर्मचारी है किन सदस्यों की सहकारी अधिनियम के अंतर्गत "संस्था" के पक्ष में अनुबंध पत्र निष्पादन करने के लिये राजी होने पर "संस्था" की सेवा उधार दिये जाने की अनुमति दी जावें उनकी ऋण सीमा निर्धारित करना।

40.30 अन्य कर्त्तव्य तथा अधिकार अधिनियम एवं नियमो के उपबंधो के अनुसार होंगें।

40.31 सभापति और पदाधिकारियों के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव और उन्हे पद से हटाने के बारे में निर्णय लेना। परंतु इस प्रयोजन के लिये होने वाले सम्मिलन की अध्यक्षता रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

उपविधि क्रमांक – 40(ब)

प्रबंध समिति अपने अधिकारो में से कोई भी अधिकार (क्रमानुसार 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24 को छोडकर) अध्यक्ष या प्रबंधक को सौंप सकेंगी। किंतु संचालक मंडल द्वारा प्रदत्त अधिकारो के तहत अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा किये गये कार्यो का विवरण संचालक मंडल की बैठक में पुष्टि हेतु रखना आवश्यक होगा।

उपविधि क्रमांक – 40(स)

वह सब कार्यवाही जो कि संचालक मंडल की बैठक में प्रस्तुत हुई हो और जिसके संबंध में चर्चा या निर्णय हुआ हो, कार्यवाही पुस्तिका में लिखी जावेगी, कार्यवाही विवरण प्रबंधक द्वारा लिखी जावेगी और उस पर अध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर बैठक के तत्काल बाद निर्णय/प्रस्ताव के विवरण के ठीक नीचे लिये जावेंगें। कार्यवाही पुस्तिका संस्था के प्रबंधक की अभिरक्षा में रहेगी।

उपविधि क्रमांक – (41) प्रबंधक की शक्तियां एवं कृत्य :–

प्रबंधक "संस्था" की प्रबंध समिति व अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण पर काम करेगा। उसके कर्त्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगे :–

41.1 पंजीयक के निर्देश के अनुरूप "संस्था" में – निर्धारित आवश्यक रजिस्टर तथा कागजातों को व्यवस्थित और चालू रखना। "संस्था" के वेतन भोगी कर्मचारियों के काम की निगरानी करना एवं उनको मार्गदर्षन देना।

41.2 पावतियां रसीद, व्हाउचर्स चैक, अन्य दस्तावेज तैयार करना व उन पर संचालक मंडल द्वारा अधिकृत व्यक्ति से हस्ताक्षर कराना।

41.3 "संस्था" की ओर से सभी पत्र व्यवहार करना। अध्यक्ष की सहमति से आमसभा संचालक मंडल की बैठक बुलाना। संचालक मंडल के निर्णयो की उपविधियों के अनुसार सूचना देना।

41.4 आमसभा व संचालक मंडल की बैठक में उपस्थित रहना तथा उनकी कार्यवाही, कार्यवाही पुस्तिका में लिखना। कार्यवाही विवरण के नीचे उपस्थित सदस्यों (संचालक मंडल के) हस्ताक्षर कराना।

41.5 प्रबंध समिति की स्वीकृति के अनुसार आकस्मिक व्यय करना।

41.6 प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक गत वर्ष के आय व्यय व वार्षिक पत्रक तैयार करना और 31 मई तक उपविधियों/नियमो से निर्धारित अधिकारी को भेजना।

41.7 रजिस्टरो की प्रतिलिपि की आवष्यकता पडने पर प्रमाणित करना।

41.8 आडिट या अन्य अधिकारियों की निरीक्षण टीप के उत्तर तैयार कर संचालक मंडल के समक्ष रखना।

41.9 बजट प्रावधानो के अनुसार संचालक मण्डल द्वारा दिये गये अधिकारों अनुसार व्यय करना।

41.10 "संस्था" द्वारा एकत्रित या प्राप्त समस्त राषियां समिति के बैंक खातो में जमा करना।

41.11 वे अन्य कार्य जो संचालक मंडल द्वारा सौंपे जायें।

उपविधि क्रमांक – (42) अध्यक्ष व प्रबंधक का दायित्व :–

42.1 अध्यक्ष और वैतनिक प्रबंधक "संस्था" की नगद रकम या संपत्ति का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग करने और उसे हडप लेने के लिये उत्तरदायी होंगें।

42.2 अध्यक्ष/वैतनिक प्रबंधक ऐसे विवरणो और विनिमय ब्यौरो को नियमित रूप से भेजने के लिये उत्तरदायी होंगे जो पंजीयक शासन या संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जावें। ये लेखा परीक्षा निरीक्षण टीपों के संस्था को प्राप्त होने के तारीख से 45 दिन के अंदर निराकरण प्रतिवेदन भेजने हेतु उत्तरदायी होंगें।

उपविधि क्रमांक – (43) सदस्यों के हितो के विरूद्ध कार्य करने के लिये और कर्मचारियों के कर्त्तव्य पूरा न किये जाने के लिये शस्तियां :–

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 74 में उल्लेखित कृत्य जो कि अपराध की श्रेणी में आते हो, के लिये दोष सिद्ध पाये जाने पर धारा 75 अनुसार शस्तियां आरोपित की जा सकती है। संबंधितो को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपो को अस्वीकार/गलत सिद्ध किये जाने अथवा शास्ति के निर्णय के विरूद्ध अपील करने का अधिकार अधिनियमो के प्रावधानो के अनुसार होगा।

उपविधि क्रमांक – (44) लेखा परीक्षको की नियुक्ति/कृत्य लेखा परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया और लेखा परीक्षा के अनुपालन की समय सीमा –

"संस्था" के आडिट संचालन हेतु पंजीयक म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक – (45) "संस्था" की ओर से दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करने और वाद दायर करने और वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाही में बचाव करने के लिये किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकार –

"संस्था" द्वारा किये जाने वाले सामान्य पत्र व्यवहारों जानकारी, प्रपत्र पर प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगें अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजो पर समिति अध्यक्ष हस्ताक्षर कर सकेंगें। कानूनी वाद/अनुबंधो पर संचालक मंडल द्वारा नामांकित अधिकारी सदस्य द्वारा कार्यवाहियां की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक – (46) –

"संस्था" केन्द्रीय सहकारी अधिकोष में चालू बचत अमानत खाता खोल सकेगा। यदि ऐसा अधिकोष न हो तो कमेटी द्वारा स्वीकृत किसी अन्य अधिकोष में ऐसे खाता खोल सकती है। "संस्था" द्वारा प्राप्त की गई सभी रकमे उक्त खातो में जमा की जावेगी।

"संस्था" के आकस्मिक व्यय के लिये प्रबंधक रू. 30,000/– तक अपने पास रख सकेगा।

उपविधि क्रमांक – (47)

47.1 "संस्था" की समस्त सेवा व्यवहार सर्वथा नगदी में किये जावें तथा उधारी बिलकुल बंद रहेगी।

उपविधि क्रमांक – (48) वे शर्ते जिन पर "संस्था" गैर सदस्यों से व्यवहार करेगी –

सामान्यतः "संस्था" गैर सदस्यों से व्यवहार नही करेगी परंतु लोकहित में "संस्था" उसके पास उपलब्ध सेवाओं विकास संबंधी जानकारीयां या उत्पाद असदस्यों को भी उपलब्ध करा सकेंगी।

उपविधि क्रमांक – (49) वे शर्ते जिन पर सोसायटी अन्य सहकारी सोसायटीयों से सहयुक्त हो सकेगी –

संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16ए/क अनुसार अन्य संस्थाओं से सहयुक्त हो सकेगी। इस बाबत आवश्यक व्यवसाय शर्ते समय समय पर आवश्यकतानुसार संचालक मंडल या अधिकृत किये जाने पर अध्यक्ष द्वारा तय की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक – (50) वे शर्ते जिन पर "संस्था" सहकारी संस्थाओं से भिन्न संगठनो से व्यवहार कर सकेगी –

"संस्था" अपने उद्देष्यो की पूर्ति हेतु सहकारी संस्थाओं से भिन्न संगठनो से व्यवहार कर सकेगी। इस बाबत आवष्यक प्रक्रिया व्यवहार की प्रकृति को देखते हुये संचालक मंडल या अधिकृत किये जाने पर अध्यक्ष द्वारा तय की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक – (51) अधिकार यदि कोई हो जो सोसायटी किसी सोसायटी या अन्य परिसंघ का प्रदत्त कर सके और वे परिस्थितियां जिनके अधीन इन अधिकारो का प्रयोग संघ /संघो द्वारा किया जा सकेगा –

"संस्था" किसी अन्य सहकारी संस्था अथवा परिसंघ को अपने उद्देश्यो की पूर्ति के पालन में व्यवसायिक हितो बाबद् अधिकार संचालक मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रदान कर सकेगी।

उपविधि क्रमांक – (52) परिसमापन के अधीन निधियों के व्ययन की रीति –

"संस्था" के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा आवेदन किये जाने पर पंजीयक परिसमापन का आदेश जारी कर सकेगा, इस प्रकार के आदेश में उस प्रयोजन के लिये एक समापक नियुक्त कर सकेगा और उसका पारिश्रमिक नियुक्त कर सकेगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो समापक के रूप में नियुक्त किया गया हो किसी भी समय हटा भी सकेगा और उनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा। इस प्रकार की गई नियुक्ति की सूचना लिखित में संस्था को सूचित की जावेगी। समापक म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अनुसार "संस्था" के हित में कार्यवाहियां करेगा।

उपविधि क्रमांक – (53) "संस्था" के लिये लेखा वर्ष

"संस्था" का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का होगा।

उपविधि क्रमांक – (54) सदस्य की मृत्यु की दशा में शेयरो तथा हित का नाम निर्देशिती के नाम अंतरण –

किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके शेयरो तथा हितो का अंतरण संबंधी कार्यवाहियां मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 26 के अनुसार की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक – (55) "संस्था" के विघटन की प्रक्रिया

किसी भी समय जबकि स्ंस्था के 75 प्रतिशत से अधिक सदस्य लिखित में ऐसे प्रस्ताव करेंगें जो कि "संस्था" के संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो, द्वारा "संस्था" के विघट्न की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। 75 प्रतिशत से अधिक के बहुमत से सदस्य पंजीयक भी संस्था को विघटित मान्य करने का आवेदन कर सकेगे तथा पंजीयक द्वारा इस निमित कोई अधिकारी नामांकित किया जा सकेगा जो सुनिश्चित करेगा कि विघटित हो चुकने का आदेश पारित करने पर संस्था की अपनी सभी प्रकार की देयताओं का चुकारा करने के बाद बची शेष निधियों को किसी सहकारी बैंक या जहां पर "संस्था" का बैंक में खाता हो, में जमा करायेगा तथा सदस्यों की आमसभा उप विधियों अनुसार बुलाकर सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से निर्णय करायेगा कि "संस्था" की चल/अचल

सम्पत्तियों के निपटान/विक्रय की क्या प्रक्रिया अपनाई जाये तथा इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निपटान/विक्रय से प्राप्त राशियों को नामांकित अधिकारी संस्था के बैंक खाते में जमा करायेगा। इसी प्रकार सदस्यो की ओर लंबित राषियो को प्राप्त करके बैकं खाते में जमा कराया जावेगा। उक्त कार्यवाहीयॉ पूर्व हो जाने पर वह अपना प्रतिवेदन, पूर्ण निधियॉ का विवरण देते हुए पंजीयक को देगा जो कि ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद संस्था को विघटित घोषित करेगा तथा अधिकारी के माध्यम से संस्था की निधियों को उनकी अंषपूंजी के प्रतिषत के आधार पर सदस्यों को बांट सकेगा।

उपविधि क्रमांक – (56) अपील

"संस्था" के संचालक मंडल /अध्यक्ष /उपाध्यक्ष द्वारा पारित /जारी किसी आदेष /निर्णय के विरूद्ध संबंधित द्वारा आदेश /सूचना प्राप्ति के दिनांक से 39 दिन के अंदर पंजीयक के समक्ष पूर्ण विवरण/प्रमाणों के साथ अपील की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक – (57) प्रबंधक हेतु अनिवार्यताएं

57.1 संचालक मंडल हेतु एक प्रबंधक नियुक्त करेगी। उसे वेतन भत्ते/पारिश्रमिक दिया जावेगा। "संस्था" के उद्देश्यों को देखते हुये संचालक मंडल प्रबंधक हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं /कार्य अनुभव बाबद मार्गदर्शन निर्देश प्रदान कर सकेगी।

57.2 प्रबंधक के पद पर केवल उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी जो –

1 न्यूनतम स्नातक शिक्षा या समतुल्य शैक्षणिक योग्यताओं धारक हो
2 कम्प्यूटर की शिक्षा प्राप्त/प्रमाणपत्र धारक हो
3 किसी अन्य सहकारी संस्था के संचालक मंडल का सदस्य न हो
4 किसी शासकीय/सहकारी संस्था से हटाया/बर्खास्त न किया गया हो
5 संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में कार्य करने में मदद कर सके
6 किसी नैतिक अधोपतन के अपराध के लिये सजा न हुई हो
7 दिवालिया घोषित न किया गया हो
8 वैधानिक रूप से अनुबंध करने के लिये सक्षम हो

उपविधि क्रमांक – (58) अमानते तथा ऋण लेना व ब्याज की दरे –

58.1 प्रबंध समिति जमा रकम के तरीके को छोडकर अन्य सभी प्रकार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियो से रकमे उधार लेने के लिये सक्षम होगी। परंतु इस प्रकार उधार रकम पर दी जाने वाली ब्याज की दरे कभी किसी हालत में उस सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा दी गई रकम पर मिलने वाले ब्याज की दर से अधिक नही हो जिस क्षेत्र में यह संस्था आती है।

58.2 प्रबंध समिति अनुसूचित बैंको म.प्र. वित्त निगम या औद्योगिक विकास बैंक या सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अधिघोषित संस्थाओं से भी रकमे उधार लेने के लिये सक्षम होगी। परंतु इस प्रकार उधार ली जाने वाली रकमो के लिये पंजीयक सहकारी समितियों की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवष्यक है।

उपविधि क्रमांक – (59) वित्त प्रदायी बैंक व अन्य संस्थाओं से संबंध

59.1 यह संस्था केन्द्रीय सहकारी बैंक से सबंधित रहेगी जो उनकी आर्थिक सहायता देने वाली संस्था होगी।

59.2 जिला सहकारी संघ की भी यह संस्था सदस्य होगी।

59.3 यह संस्था म.प्र. में अपने वर्ग की शीर्ष सहकारी संस्था की सदस्यता प्राप्त करेगी।

उपविधि क्रमांक – (60) हिसाब के तथा अन्य रजिस्टर

हिसाब की पुस्तकें तथा अन्य रजिस्टर सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियम तथा सहकारी संस्थाओं के पंजीयक की आज्ञा के अनुसार रखें जावेगें, इनके अतिरिक्त "संस्था" जो रजिस्टर तथा पत्रक रखना आवश्यक समझें वे भी रखें जावेगें।

उपविधि क्रमांक – (61) सामान्यतः निम्नलिखित रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा :–

1. रोकड़ बही	2. खाताबही
3. व्यक्तिगत–बही खाता	4. सदस्य–पंजी
5. हिस्से और हिस्सेदारी पंजी.	6. निक्षेप पंजी
7. वार्षिक साधारण सभा व प्रबंध समिति की कार्यवाही पुस्तक	8. सदस्यता हेतु आवेदन पंजी
9. सदस्यों के वैध उत्तराधिकारी के मनोनयन की पंजी	10. निरीक्षण पंजी
11. आवक –जावक पंजी व अन्य आवश्यक अभिलेख जो कारोबार के लिये आवश्यक है।	

उपविधि क्रमांक – (62) "संस्था" की मुद्रा :–

स्ंस्था की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/प्रबंधक के पास रहेगी और जिसका उपयोग समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी कर सकेगें इस लिखतम पर जिस पर वह मुद्रा लगाई जावेगी, समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधक के अथवा ऐसे पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होगें जिन्हें समिति ने इस संबंध में अधिकार दिया हो।

उपविधि क्रमांक – (63) विवाद :–

विवाद जो इन उपविधियों के अथवा संस्था के संबंध में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा–64 के अन्तर्गत् हो, निर्णय के लिये सहकारी संस्थाओं के पंजीयक को प्रस्तुत होगें जो उक्त विधान तथा उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार उसका निर्णय करेंगें।

उपविधि क्रमांक – (64) सूचना पत्र की तामीली :–

इन उपविधियों में जहां बताया गया है कि किसी सदस्य को लिखित सूचना पत्र दिया जावेगा तो ऐसे सूचना पत्र का ऐसे सदस्य को स्वयं दिया जाना अथवा पंजीकृत डॉक से उस पते पर जो "संस्था" के सदस्यों के रजिस्टर में नोट किया हो भेजा जावेगा।

उपविधि क्रमांक – (65) विविध :–

65(क) अन्य बाते जिनका पृथक उल्लेख इन उपविधियों में न किया गया हो, सहकारी संस्था विधान तथा उसके अंतर्गत नियमो के अनुसार की जावेगी।

65(ख) संस्था म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अंतर्गत राज्य शासन पंजीयक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के लिये संस्था बाध्य होगी।

उपविधि क्रमांक – (66) कर्मचारियों के नियम व सेवा शर्ते :–

पंजीयक के अनुमोदन के अधीन "संस्था" कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा, शर्तो प्रवास भत्ता, छुट्टी, निवृत्ति, वेतन या सामान्य भविष्य निधि इत्यादि तथा प्रबंध समिति के सदस्य को देय प्रवास भत्ते आदि के संबंध में नियम बनायेगी।

उपविधि क्रमांक – (67) घाटे का दायित्व :–

संचालक मंडल के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रबंधक इत्यादि जिनकों "संस्था" के संचालक के संबंध में अधिकार है, व्यवहार कुशल व्यक्ति के समान सब काम चिन्ता से व सावधानी से करेगें और उस हानि के लिये उत्तरदायी होगें जो कि सहकारी संस्था विधान, उसके अन्तर्गत् नियम और इस उपविधियों के विरूद्ध काम करने से

"संस्था" को हुई हों। किसी वर्ष में घाटा होने की दशा में "संस्था" की प्रबंध समिति घाटे के कारणों को "संस्था" की साधारण सभा में प्रस्तुत करेगी। साधारण संस्था परीक्षण कर घाटे की पूर्ति के लिये आवश्यक निर्देश प्रबंध समिति को देगी।

उपविधि क्रमांक – (68) कर्मचारियों की रक्षा निधि :–

"संस्था" अपने कर्मचारियों तथा कामगारों के लिये भविष्य रक्षा निधि का निर्माण करेगी।

उपविधि क्रमांक – (69) पंजीकृत पता व संस्था का नाम संप्रदर्शन :–

69(क) म.प्र. सहकारी समितियां नियम 1962 के नियम 22(1) के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही कर संचालक मंडल स्ंस्था का पता पंजीयक को प्रेषित करेगी। नियम 22(3) में वर्णित अनुरूप स्ंस्था पंजीकृत पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना संचालक मंडल द्वारा पंजीयक को तत्काल दी जावेगी। पंजीकृत पते में प्रस्तावित परिवर्तन पंजीकृत करने के उपरांत ही संशोधित माना जोगा।

"संस्था" अपने पंजीकृत कार्यालय जहॉ–जहॉ यह कारोबार करती है, वहॉ "संस्था" द्वारा जारी की गई समस्त सूचनाओं एवं अधिकारियों प्रकाशनों में, अपनी समस्त संविदानों पर कारोबारी पत्रों पर, माल के लिये आदेशों में बीजक लेखाओं के विवरण पर और समस्त कारोबारी पत्रों पर "संस्था" का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता और मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत क्रमांक अनिवार्य रूप से लिखेगी।

69(ख) "संस्था" अपने रजिस्टर्ड पते पर दिन प्रतिदिन कारोबार करेगा तथा रजिस्टर्ड पते पर "संस्था" से संबंधित अभिलेख संधारित करेगी।

उपविधि क्रमांक – (70) अन्य इकाई स्थापना :–

"संस्था" पंजीयक की अनुमति के बिना संस्था की कोई शाखा कार्यक्षेत्र से बाहर स्थापित नहीं करेगी।

उपविधि क्रमांक – (71)) दस्तावेजों का निष्पादन :–

रसीदों को छोड़कर "संस्था" की ओर से निष्पादित सारे भार–पत्रों (चार्जिस) या अन्य लिखितों पर "संस्था" के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष, प्रबंधक और संचालक मंडल के एक अन्य सदस्य के हस्ताक्षर रहेंगे। प्रबंध समिति से अधिकार प्राप्त कर प्रबंधक रसीदों पर हस्ताक्षर करेगें।

उपविधि क्रमांक – (72) भवन एवं संपत्ति –

अपने निर्धारित उद्देश्यो की पूर्ति के लिये "संस्था" को जिन कार्यालय छाबरियां (शेडस) और भवन की आवश्यकता हो उन्हे वह पंजीयक की पूर्व मंजूरी से बना सकेगी या किराये पर ले सकेगी तथा इस प्रयोजन के लिये भूमि प्राप्त करेगी।

.....000.....